बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021

- सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 13 फरवरी, 2021 को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया। बिल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।
- संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान संसद को इस बात की अनुमति देता है कि वह अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने के लिए इस सूची में बदलाव कर सकती है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया गया है।
- बिल देवेंद्रकुलथन समुदाय को देवेंद्रकुला वेलालर से बदलता है जिसमें वे समुदाय शामिल हैं जोकि एक्ट में इस समय अलग से सूचीबद्ध हैं। ये हैं: (i) देवेंद्रकुलथन, (ii) कल्लादि, (iii) कुडुम्बन, (iv) पल्लन, (v) पन्नाडी, (vi) वातिरैयान। अलग प्रविष्टियों को हटा दिया गया है।
- 1950 के आदेश में राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में कड्डयन को भी शामिल किया गया है। बिल निवास के आधार पर कड्डयन समुदाय में अंतर करता है। कड्डयन समुदाय के लिए अलग प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित जिलों के आधार पर कड्डयन समुदाय की प्रविष्टि की गई है: (i) तिरुनेलवेली, (ii) तूतुकुड़ी, (iii) रामनाथपुरम, (iv) पुदुकोट्टई, (v) तंजावूर, (vi) तिरुवारुर और (vii) नागपट्टीनम। अन्य जिलों में रहने वाले कड्डयन समुदाय के सदस्यों को देवेंद्रकुला वेलालर के समूह में शामिल किया गया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

श्रुति गुप्ता
shruti@prsindia.org

26 फरवरी, 20221